

1.	विभाग—	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)
2.	योजना का नाम —	जननी सुरक्षा योजना
3.	योजना संक्षिप्त टिप्पणी—	जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को सरकारी स्वास्थ्य ईकाई (मान्यता प्राप्त उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य) पर प्रसव कराने पर ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी को 1400 रुपये की धनराशि तथा शहरी क्षेत्र की लाभार्थी के लिए 1000 रुपये की धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान की जायेगी।
4.	पात्रता की अर्हता—	समस्त गर्भवती महिलाएँ
5.	आवेदन की प्रक्रिया—	जननी सुरक्षा प्रपत्र भरकर स्वास्थ्य ईकाई पर जमा कराया जायेगा जहाँ प्रसव कराया हो।
6.	लिंक वेबसाइट	http://upnrhm.gov.in/
7.	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा अपर निदेशक, चिकित्सा, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।